न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 57 / 16

1 राजकुमार पुत्र श्री कुंज बिहारी नन्दवाना, जाति ब्राहम्ण, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अमीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी बीबीमाई की दरगाह के पास, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 20.02 .2018

उपस्थिति : श्री रमेश कुशवाह, वादी वकील

निर्णय

वादी की ओर से वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम कैथून, जिला कोटा का स्थाई निवासी है। वादी की आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 0.74 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर पूर्वी साईड वाली प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी, उपरोक्त वर्णित आराजी खरीद करने के पश्चात आराजी का नामान्तरकरण भी वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है तथा नया खसरा नम्बर 2374 / 865 का रकबा 0.32 हैक्टर पूर्व तरफ का राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है। प्रतिवादी नं. 2 राजस्व भूमि का स्वामित्व रखता है। वादी ने उपरोक्त आराजी खरीदने का पश्चात कब्जा प्राप्त कर लिया है किन्तु प्रतिवादी नं. 1 आराजी का बंटवारा नहीं कर रहा है। वादी ने कई बार प्रतिवादी नं. 1 से अनुरोध किया कि खसरा नम्बर 2374 / 865 रकबा 0.32 हैक्टर राजस्व विभाग के पटवारी से नपवाकर वादी को संभला दिया जावे। प्रतिवादी नं. 1 के मन में बदयान्ति आ गई है और प्रतिवादी नं. 1 उपरोक्त आराजी का बंटवारा नहीं करना चाहता है। प्रतिवादी नं. 1 शेष बची हुई आराजी खसरा नम्बर 865 का भी विक्रय करना चाहता है। प्रतिवादी नं. 1 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी को भी विक्रय करने पर उतारू है। प्रतिवादी नं. 1 ने दिनांक 01.08.2016 को दलालों को लाकर वादी की कब्जेकाश्त वाली आराजी को दिखाया और उनसे वादी के खातेदारी व अधिपत्य वाली आराजी को विक्रय करने की बात की। वादी ने प्रतिवादी नं. 1 को समझाया कि उपरोक्त वर्णित आराजी का प्रतिवादी नं. खातेदार कृषक है और वादी को अकारण ही परेशान करने की नियम से प्रतिवादी नं. 1 चादी के खातेदारी वाली आराजी को विक्रय करना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से कहा कि वादी को जो आराजी प्रतिवादी नं. 1 ने विक्रय की है, उसका पटवारी से माप करवा लेते है, उसके बाद शेष बची हुई

सहायक कलक्टर, कोटा

आराजी को प्रतिवादी नं. 1 उसकी इच्छा के अनुसार उपयोग व उपभोग करे किन्तु प्रतिवादी नं. 1 बलपूर्वक वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है और वादी को उसके अधिपत्य वाली आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 01.08.2016 को प्रतिवादी नं. 1, वादी को धमकी देकर गया है कि वह वादी को उसके स्वामित्व वाली आराजी से बेदखल कर देगां प्रतिवादी नं. 1 के साथ भू माफिया लगे हुये है, जो वादी को परेशान कर रहे है।

वादी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय में इस आशय का वाद प्रस्तुत कर घोषणा की डिक्री प्राप्त करे कि प्रतिवादी नं. 1 वाद पत्र में वर्णित काराजी का बंटवारा करवाये तथा नक्शे में भी वादी व प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा अलग अलग दिखाया जाये अर्थात नक्शे में तरमीम की जावे। प्रतिवादी नं. 1 वादी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी वाली आराजी पर से बलपूर्वक बेदखल नहीं करे तथा वादी को प्रतिवादी नं. 1 के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवारा राजस्व रिकार्ड के अनुरूप किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 से वादी द्वारा बार बार बंटवारे की बात कहने से वादी से लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाता है, जिसके कारण वादी को उक्त आराजी का बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज करवाकर खाता अलग अलग करवाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण अन्तिम बार 01.08.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा करने से साफ इंकार करने तथा झगडे पर उतारू होने एवं जमीन बेचने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 865 रकबा 0.74 हैक्टर में से खसरा नं. 2374/865 रकबा 0.32 हैक्टर पूर्वी साइड वाली ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खाते में पृथक दर्ज किया जावे एवं रेवेन्यू रिकार्ड में भी अमल दरामद किया जावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

1. ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 865 एवं 870 की नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072 (प्रदर्श–1)
2. ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 2374/865 की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 (प्रदर्श–2)
3. उप पंजीयक प्रथम, कोटा में वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 865 के रकबा 0.74 में से 0.32 हैक्टर के किये गये बेचान का विक्रय पत्र
4. ग्राम कैथून के विवादित खसरा नम्बरान का आंशिक मानचित्र

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जर्ये तहसीलदार तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। जिनकी स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 से तलवी उपरान्त उनकी ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया। तदुपरान्त, प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के फलस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी की जिरह निल की गई एवं वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उनके द्वारा क्रय की गई आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के खाते पृथक पृथक दर्ज हो चुकी है किन्तु इसका नक्शा पृथक नहीं होने से विवाद रहता है। अतः विक्रय पत्र में अंकितानुसार राजस्व नक्शें मे वादी की आराजी दर्ज की जावे।

हमने वादी वकील की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम

सहायक कलक्टर, कोटा

इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी वादी की खातेदारी में खसरा नम्बर 2374/865 रकबा 0.32 हैक्टर के रूप में पृथक से दर्ज हो चुकी है। पंजीकृत विक्रय पत्र के पृष्ठ–2 की तीसरी पंक्ति में "खसरा नम्बर 865 रकबा 0.7414 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय में से 0.32 हैक्टर (खसरा नम्बर 863 से लगवा पूर्वी दिशा वाली)" आराजी क्रय की गई है। विवादित आराजी के आंशिक मानचित्र के अवलोकन से सपष्ट है कि वादी द्वारा क्रय की आराजी को मानचित्र (नक्शा) में पृथक से तरमीम नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचन से वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 2374/865 रकबा 0.32 हैक्टर आराजी को राजस्व जमाबन्दी एवं विक्रय पत्र में अंकितानुसार खसरा नम्बर 863 से लगवा पूर्वी दिशा की तरफ का अंकन कर मानचित्र में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

सहायक कलक्टर, कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 राजकुमार पुत्र श्री कुंज बिहारी नन्दवाना, जाति ब्राहम्ण, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अमीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी बीबीमाई की दरगाह के पास, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 53, 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 57 / 16
निर्णय दिनांक : 20-02-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री रमेश कुशवाह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 07–02–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 2374 / 865 रकबा 0.32 हैक्टर आराजी को राजस्व जमाबन्दी एवं विक्रय पत्र में अंकितानुसार खसरा नम्बर 863 से लगवा पूर्वी दिशा की तरफ का अंकन कर मानचित्र में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 20.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

सहायक कलक्टर, कोटा